

222222/18/2015


भागाराम बनाम तुलछाराम वगैरह

भागाराम बनाम तुलछाराम

22-2-22

विद्वान अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा जरिये अपीलांट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलांट उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है व अपील इसी स्टेज पर विद्वा करना चाहते है। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विद्वावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.), छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 21-12-2010 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट ही उक्त अपील को आगे नहीं चलाते हुए विद्वा करना चाहते है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट स्वयं ही व्यथित थे व अब वे ही उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को विद्वा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगे। लिहाजा अपीलांट की अपील जरिये विद्वावल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफतर हो।



(रामस्वरूप चौहान)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

